

18



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रकाशित अथवा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 1992/भाद्र 19, 1914
No. 591] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 1992/BHADRA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 10 सितम्बर, 1992

का० आ० 667(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण
में राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि उनके नियंत्रणाधीन रहते हुए एवं प्रमले आवेस तक
चंडीगढ़, झाबरा व नगर हवेली, दमण व द्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय शोर

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (भले ही वे उप राज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक कहे जाते हों) अपने संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) को धारा 5 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन भी करेंगे।

[फा० सं० यू-11030/1/91-यू० टी० एल०]

एस० दत्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1992

S.O. 667(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that subject to his control and until further orders, the Administrators (whether known as Lieutenant Governor, Chief Commissioner or Administrator) of the Union territories of the Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, the National Capital Territory of Delhi, Lakshadweep and Pondicherry shall, in relation to the Union territory concerned, also exercise the powers and discharge the functions of the Central Government under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

[F. No. U-11030/1/91-UTL]

S. DUTTA, Jt. Secy.